बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या–2/टी0–35/2008– 625(2) /स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा के सभी वैसे चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी है (उपचार गृह उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों को छोड़कर) की प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से रद्द किया जाता है।

2. उक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने मूल पदस्थापित स्थान पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान समर्पित करेंगे।

3. उक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारी का माह, जुलाई, 2012 के वेतन का भुगतान उनके मूल पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के पश्चात् ही किया जाएगा । यदि जुलाई माह में वापस अपने मूल स्थान पर नहीं जाएंगे तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी ।

4. सभी सिविल सर्जनों/सभी अधीक्षक/सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि तीन वर्ष से अधिक की हो चुकी है, को उनके मूल पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु अविलंब विरमित करें तथा इसकी सूचना विभाग को फैक्स द्वारा भेजें ।

5. यदि संबंधित को विरमित करने में अवांछित विलंब होता है तो उसकी जवाबदेही संबंधित सिविल सर्जन/अधीक्षक/प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों की होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2/टी०–35/2008– 625(2) स्वा०, पटना, दिनांक– 11.07.2012

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । चिकित्सा पदाधिकारियों को माह जुलाई, 2012 के वेतन की निकासी के लिए संबंधित सिविल सर्जन से इस आशय का प्रमाण–पत्र लिया जाय कि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी तीन वर्षों से अधिक अवधि से अन्यत्र (उपचार गृह उच्च न्यायालय छोड़कर) प्रतिनियुक्त नहीं है।

प्रतिलिपि :– अवर संचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, कारा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/ सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/ सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/निदेशक, पी0एच0आई0, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रक्त अधिकोष, पी0एम0सी0एच0, पटना/महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना/सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक/विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–1,2,3,9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

11/7/2012

सरकार के संयुक्त सचिव